

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

क्र./संपदा/2023/ 431

//सूचना //

03 अक्टूबर 23

4

प्रति,

समस्त दुकान संचालक/आर्टस कैंटीन

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर सागर (म.प्र.)

विषय-सिगरेट तम्बाखू विक्रय पर प्रतिबंधित करने के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में सभी प्रकार के मादक पदार्थों तम्बाखू, बीडी, सिगरेट, विक्रय पर प्रतिबंधित किया गया है।

अतः समस्त दुकान संचालको को हिदायत दी जाती है कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिबंधित तम्बाखू, बीडी, सिगरेट, का विक्रय न किया जाये। अन्यथा कि स्थिति में दण्डनीय कार्यवाही के साथ दुकान/कैंटीन को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी स्वयं की होगी।

आदेशानुसार

संपदा अधिकारी

संपदा अधिकारी

डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. नगर दंडाधिकारी को सूचनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
3. डोसा छात्र कल्याण डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।
4. मुख्य प्रतिपालक युवक एवं कन्या छात्रावास को सूचनार्थ।
5. प्रभारी एन.एस.एस. विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।
6. समस्त दुकान संचालको/कैंटीन संचालक को पालनार्थ हेतु।
7. कुलपति महोदया जी के सचिव को सूचनार्थ।
8. कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।

डॉ. प्रभासी आर टी खेल वि. वि.

संपदा अधिकारी

संपदा अधिकारी

डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)